

अंक 97 नई व्यवस्था का संक्षिप्त प्रारूप

हमने वर्तमान व्यवस्था का मल्यांकन तथा व्यवस्था परिवर्तन क्यों? विषय पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला था कि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह अपराधियों, पूँजीपतियों, राजनीतिज्ञों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा शरीफों, गरीबों तथा श्रमजीवियों का शोषण करने का षडयंत्र मात्र है। इसे पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। फिर दूसरे सत्र में हमने व्यवस्था परिवर्तन क्या विषय पर विचार करके निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है संवैधानिक राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन। अब हम यह विचार करें कि नई व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप क्या होगा? वर्ष निन्यानवे में पारित प्रस्तावित व्यवस्था का शाब्दिक प्रारूप भी आपके पास इस अंक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

वर्तमान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में ग्यारह समस्याएँ बढ़ रही हैं। पांच शासन की निष्क्रियता के कारण और छः शासन की अति सक्रियता के कारण। इन ग्यारह समस्याओं का समाधान नई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। इसके लिये संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। वर्तमान संविधान के Preamble में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, समानता आदि अनावश्यक या अस्पष्ट लक्ष्यों का समावेश किया गया है। उसके स्थान पर Preamble का निम्न स्वरूप होना चाहिए (क) लोक स्वराज्य (ख) अपराध नियंत्रण (ग) अधिकतम आर्थिक समानता (घ) श्रम सम्मान (च) समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान का ढांचा इन तथ्यों पर केन्द्रित होना चाहिये। इन पांच आधारों पर व्यवस्था का ढांचा खड़ा होने से ग्यारह समस्याओं का त्वरित और निश्चित समाधान संभव है। विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

(क) लोक स्वराज्य — इसका अर्थ है संविधान में परिवार गांव जिले प्रदेश और केन्द्र के अधिकारों के विभाजन की सूची बनाना। व्यवस्था और सत्ता को बिल्कुल पृथक-पृथक करना। सत्ता सिर्फ केन्द्र की हो जिसके पास पांच विभाग हों 1.सेना 2. पुलिस 3. वित्त 4. विदेश 5. न्याय। शेष सभी विभाग परिवार ग्राम जिले प्रदेश और केन्द्र सभा में वितरित कर दिये जायें। सत्ता पांच को छोड़कर किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप न करें। इस विकेन्द्रीयकरण से भ्रष्टाचार चरित्र पतन और अव्यवस्था पर उल्लेखनीय अकुश लगेगा।

(ख) अपराध नियंत्रण — लोक स्वराज्य प्रणाली में अपराधों की संख्या अपने आप घट जाती है गैर कानूनी कार्य नियंत्रण समाज का विषय बन जाता है। जुआ, शराब, वैश्यावृत्ति, छुआछूत, दहेज, बालविवाह, बालश्रम, हरिजन आदिवासी महिला उत्पीड़न, गांजा तस्करी आदि काया को रोक थाम का अधिकार सत्ता से हटकर व्यवस्था के पास अर्थात् शासन से हटकर समाज का होगा। समाज अपनी सभाओं के माध्यम से इनका नियंत्रण कर सकता है। पांच प्रकार के अपराध रोकने के लिये आवश्यकतानुसार अल्पकाल के लिये गुप्तचर न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है। इसमें क्षेत्र विशेष में न्यायालयों का अपनी स्वतंत्र गुप्तचर न्यायिक सेवा बनाकर गुप्तचर पुलिस द्वारा प्रस्तुत गुप्त मुकदमों के ट्रयाल का अधिकार होगा पोटा या ऐसे अन्य सभी कानून जिनमें कुछ मामलों में शासन के विशेष अधिकार हैं। वे समाप्त हो जायेंगे। बिना न्यायिक निर्णय के किसी को दण्डित नहीं किया जायेगा। गुप्तचर न्यायिक सेवा के गठन के बाद राजनैतिक आपराधिक उच्चश्रृंखला पर एकाएक पूर्ण विराम लग जायेगा।

(ग) आर्थिक असमानता में कमी — इसके लिये सभी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति पर अधिकतम दो प्रतिशत केन्द्र सरकार का कर होगा। अन्य सभी कर हटा लिये जायेंगे। कोई अन्य कर नहीं होगा। केन्द्र के पांच विभागों का खर्च इस धन से ही चलेगा इससे आर्थिक असमानता में कुछ कमी आयेगी।

(घ) श्रम मूल्य और श्रम सम्मान वृद्धि — इसके लिये कृत्रिम ऊर्जा डीजल, बिजली, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला आदि पर भारी कर (जो आवश्यकतानुसार वर्तमान मूल्य का दो से ढाई गुना तक हो सकता है) लगाया जायेगा। सम्पत्ति कर तथा कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि से प्राप्त धन में से केन्द्र सरकार का खर्च काटकर शेष सारा धन परिवारों में सदस्य संख्या के आधार पर बराबर बराबर बांट दिया जायेगा यह वितरण अनुमानतः दो ढाई हजार रूपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक हा सकता है कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि श्रम मूल्य वृद्धि में निर्णायक भूमिका अदा करेगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण आर्थिक असमानता विदेशी कर्ज वृद्धि शहरी आबादी वृद्धि आदि समस्याओं की भी यह रामबाण औषधि होगी।

(च) समान नागरिक संहिता — समान नागरिक संहिता साम्प्रदायिकता और जातीय कटुता का सफल इलाज है। आदिवासी हरिजन महिला पिछड़ा वर्ग आदि की भावनाएँ इससे समाप्त होगी टकराव नहीं रहेंगे इन वर्गों की वर्तमान समस्याओं का समाधान श्रम मूल्य वृद्धि से हो सकता है।

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त निम्न संशोधन और हो सकते हैं –

(क) सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवार को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाये। परिवार के अधिकार संविधान द्वारा व्याख्यायित हों। परिवार की पहचान और परिभाषा भी इस तरह की जावे कि संयुक्त उत्तरदायित्व और संयुक्त सम्पत्ति हो। उत्तरदायित्व संयुक्त होने से अपराध नियंत्रण में बहुत सहायता होगी। अब तक सम्पत्ति क तीन सिद्धान्त प्रचलित है। 1. व्यक्तिगत जो वर्तमान में प्रचलित है। 2. गांधी जी का ट्रस्टीशिप जिसमें सम्पत्ति पूरे गांव की मानकर परिवार को उसका संरक्षक माना गया। 3. साम्यवादी जिसमें सम्पत्ति पूरे राष्ट्र की मानी गई। हम इन तीनों से हटकर सम्पत्ति परिवार की मान रहे हैं। जिसमें प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार हो।

(ख) पूरे देश को सौ प्रान्त एक प्रान्त को सौ जिले या ब्लाक एक जिले या ब्लाक को सौ गांव में विभाजित किया जाये प्रत्येक परिवार का नौ अंकों का एक निश्चित कोड नम्बर है। जिसका प्रथम दो अंक प्रदेश की द्वितीय दो अंक जिले की तीसरे दो अंक गांव की ओर अंतिम तीन अंक परिवार की पहचान बने प्रत्येक परिवार ग्राम सभा में पंजीकृत हो जिसमें उस परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सदस्य संख्या का विस्तृत विवरण हो। यह नौ अंको का कोड नम्बर ही परिवार का बैंक एकाउन्ट, गाडो नम्बर, फोन नम्बर, पत्र व्यवहार, केश मुकदमा या भूमि सम्पत्ति आदि के रेकार्ड का भी नम्बर हो। इससे विदेशी घुसपैठ अपराध नियंत्रण, पत्राचार, रेकार्ड रखने आदि में बहुत सुविधा होगी।

(ग) किसी लोक सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली जिला सभाओं को यह अधिकार दिया जा सकता है कि व अपने चुने हुए सांसद की संसद सदस्यता समाप्त करके उसे वापस बुला सकें।

(घ) मूल अधिकारों को संशोधित करके चार को मूल अधिकार घोषित किया जा सकता है (1) जीन का (2) सम्पत्ति का (3) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (4) स्व निर्णय। स्व निर्णय को मूल अधिकार घोषित करने से अनेक समस्याएँ सुलझ सकती है।

(च) लोक सभा को इस प्रकार स्थिर किया जा सकता है कि उसके पांचवे भाग के लोकसभा सदस्य पतिवर्ष हट जावें तथा वहाँ के चुनाव प्रतिवर्ष हो। इससे राजनैतिक अस्थिरता समाप्त होगी। चुनाव खर्च और चुनाव व्यवस्था पर भी प्रचार होगा।

(छ) संविधान संशोधन का अन्तिम अधिकार संसद के अतिरिक्त एक अन्य समिति को भी दिया जावे जो संविधान संशोधन पर विचार करके निर्णय करें।

उपरोक्त संशोधनों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, न्याय सुविधा जनक होगा, आर्थिक असमानता कम होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, श्रम मूल्य बढ़ेगा, साम्प्रदायिक और जातीय कटुता समाप्त होगी राजनीति का हस्तक्षेप समाज में कम होकर समाज शक्तिशाली बनेगा तथा इस तरह लोक स्वराज्य प्रणाली का विकास संभव होगा।

नोट – इस सत्र में जो चर्चा होना है यह योजना का भाग नहीं है। अभी यह सम्मेलन जिस व्यवस्था परिवर्तन पर योजना बनाने के लिये इकट्ठा है। उस योजना के साथ नई व्यवस्था के प्रारूप पर भी चर्चा चलती रहे यही इस सत्र का उद्देश्य है इसलिये इस सत्र में हम चर्चा तक सीमित रहेंगे। हम न कोई निष्कर्ष निकालेंगे न ही प्रस्ताव पारित करेंगे। चर्चा के बाद यह सत्र वही समाप्त हो जायेगा। इस सत्र सम्मेलन के अन्य सत्रों से कोई संबंध नहीं है।

व्यवस्था परिवर्तन क्यों ?

सृष्टि के आरंभ से ही दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ अस्तित्व में हैं। (1) दैवी प्रवृत्ति (2) आसुरी प्रवृत्ति। इन दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। दैवी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा आसुरी लोगों की बहुत कम। किन्तु आसुरी प्रवृत्ति के लोग दैवी प्रवृत्ति वालों को अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं दैवी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तथा आसुरी प्रवृत्ति वालों को समाज विरोधी। समाज और समाज विरोधी तत्वों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहा है। समाज विरोधी तत्वों पर समाज के नियंत्रण संघर्ष होता रहा है। समाज विरोधी तत्वों पर समाज के नियंत्रण को व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। व्यवस्था उस प्रक्रिया का कहते हैं जो समाज द्वारा समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण तथा समाज के सुचारु रूप से संचालन के लिए बनाई जाती है। ‘

व्यवस्था सम्पूर्ण इकाई द्वारा सम्पूर्ण इकाई के बीच से सम्पूर्ण इकाई की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिये होती है। किन्तु किसी भी व्यवस्था का क्रियान्वयन सम्पूर्ण इकाई नहीं करती बल्कि सम्पूर्ण इकाई द्वारा नियुक्त एक छोटा सा समूह करता है। समाज की व्यवस्था करने वाले वर्ग को सरकार

कहते हैं। समाज शब्द पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। अतः सरकार भी पूरे विश्व की एक ही होनी चाहिए किन्तु अब तक विश्व राष्ट्रों से उपर नहीं उठ सका है। अतः व्यवस्था भी राष्ट्रों की ही है और सरकार भी। भारत भी ऐसा ही एक राष्ट्र है जिसकी एक अपनी स्वतंत्र व्यवस्था भी है और सरकार भी।

सन सैंतालीस से भारत की अपनी व्यवस्था है। स्वतंत्रता के समय सोचा भी गया था तथा घोषणा भी हुई थी कि भारत में सुराज्य होगा। अपराध नियंत्रण होगा। भ्रष्टाचार तथा आर्थिक असमानता नहीं होगी। श्रम का सम्मान होगा था उसका उचित मूल्य मिलेगा। कानून का पालन करने वाले निर्भय होंगे। बेरोजगारी नहीं होगी तथा भारत इतना आत्म निर्भर होगा कि विदेशी कर्ज का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जाति और धर्म का भेद भाव नहीं किया जायेगा। ये तथा ऐसी ही अनेक घोषणाएँ की गई थी। किन्तु हम पचास वर्षों के बाद समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि हम हर मामले में पिछड़ते चले गये उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा किन्तु सुरक्षा, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज, धार्मिक जातीय टकराव आदि कोई रोक नहीं लगी बल्कि सच्चाई यह है कि प्रत्येक मामले में हम लगातार पिछड़ते चले गये। गांधी जी ने हमें स्वराज्य का नारा दिया था जिसका अर्थ होता है "प्रत्येक इकाई को अपने इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता"। गांधी जी तथा उनके आश्रम के लोग निरंतर इसी विचार के पोषक रहे। किन्तु गांधी हत्या के बाद कांग्रेस तथा आश्रम की सोच भिन्न भिन्न हो गई। आश्रम की शक्ति कमजोर हुई तथा नेहरू पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज्य के स्थान पर सुराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। कांग्रेस के लोगों की नीयत विश्वास योग्य थी अतः आम नागरिकों ने सुराज्य की प्रतीक्षा में स्वराज्य की नीति को छोड़ना स्वीकार कर लिया। सुराज्य व्यवस्था के दोष निश्चित थे जो धीरे धीरे व्यवस्था की अंग बनत चले गये और धीरे धीरे हम व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ते चले गये। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और यदि व्यवस्था नाम की कोई चीज है भी तो वह समाज विरोधियों की व्यवस्था समाज के लिए चल रही है। निश्चित रूप से यह एक चिन्तनीय समय है। भारत के अनेक साधु पुरुष इस व्यवस्था की बीमारियों को ठीक करने में दिन रात लगे हुए हैं किन्तु व्यवस्था लगातार विपरीत दिशा में दौड़ रही है। अनेक विद्वान निराश होकर भगवत भंजन में लग गये हैं। अथवा अनेक अब भी व्यवस्था में सुधार का प्रयास कर रहे हैं किन्तु न तो वे सफल ह, नहो सफलता की कोई उम्मीद शेष है।

मेरे विचार में व्यवस्था के प्रत्येक अंग एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि किसी एक के सुधार से कोई परिणाम दिखने वाला नहीं। अतः हमें व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का एक प्रारूप बनाकर तदनुसार व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य है और मेरी इच्छा है कि नई व्यवस्था का प्रारूप बनाने तथा व्यवस्था परिवर्तन में समाज के जागरूक साधु पुरुषों की पूरी सहभागिता हो।

संविधान संशोधन क्यों ?

हम इस निष्कर्ष तक पहुँच चुके हैं कि वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान व्यवस्था का आमूल चूल बदलाव ही एकमात्र माग है। अब हमें यह विचार करना है कि व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ क्यों आई नई व्यवस्था का स्वरूप क्या हो तथा उसका मार्ग क्या हो?

व्यवस्था समाज की होती है और उसका कार्यान्वयन सरकार का सरकार को समाज की नीतियों के आधार पर काम करना होता है। किन्तु समाज का कोई स्थिर स्वरूप और संगठन न होने से यह संभव नहीं होता कि समाज सरकार के दैनिक कार्या पर नियंत्रण या मार्गदर्शन कर सकें। अतः समाज एक संविधान बनाकर उस संविधान के अन्तर्गत सरकार को काम करने के अधिकार दे देता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार की अन्तिम सीमाएँ तय करता है और मार्ग दर्शन प्रदान करता है। सन सैंतालीस के पूर्व भारत गुलाम था अतः उसका अपना कोई संविधान नहीं था किन्तु स्वतंत्रता के बाद भारत का अपना संविधान बना जो तीन वर्षों तक बनते हुए सन पचास में लागू हुआ।

संविधान की प्रामाणिकता की कसौटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना संतुलित है अर्थात् संविधान न इतना कठोर हो कि शासन को व्यवस्था करने में ही कठिनाई हो तथा न इतना लचीला हो कि शासन की उच्चश्रृंखला हो जाये। शासन कमजोर होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी और उच्चश्रृंखला होगा तो कुव्यवस्था अपेक्षा की गई थी कि भारतीय संविधान इतना संतुलित होगा कि समाज विरोधी तत्वों पर पूरी तरह नियंत्रण होने के साथ साथ समाज की स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी किन्तु परिणाम ठीक विपरीत हुए अर्थात् समाज विरोधी तत्व मजबूत होते गये और समाज की स्वतंत्रता में लगातार कटौती होती चली गई। हम यह निश्चित रूप से कहते हैं कि संविधान अपने उद्देश्यों को विपरीत परिणाम उत्पन्न करता रहा।

आम तौर पर यह कहा जाता है कि भारत में फैली अव्यवस्था के लिये चरित्र पतन उत्तरदायी है न कि संविधान। यदि लोग ठीक हो तथा संविधान का ठीक से पालन करे तो परिणाम विपरीत हो ही नहीं सकते। मेरे विचार में ये बचकानी बातें हैं जब भारत का संविधान बना तब उसके बनाने वालों और पालन कराने वालों का चरित्र आज से कई गुना ऊँचा था फिर भी यह दुर्दशा यदि हुई तो कही न कही संविधान में कमजोरी रही। पागलखाना का कोई डॉक्टर यह तर्क दे कि यदि पागल मेरी बात को ठीक से समझेगा तथा उस अनुसार काम करेगा तो यह ठोक हो जायेगा। ऐसा तक मिथ्या होगा क्योंकि पागलखान का डॉक्टर समझने वाले के लिये नहीं बल्कि न समझने वालों के लिये है। संविधान का उद्देश्य चरित्र पतन को रोकना है और यदि संविधान चरित्र पतन का रोकने में असफल है तो यह उसकी स्वयं की असफलता है चरित्र की नहीं। दुर्भाग्य है कि हमारे अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी राजनेताओं के इस प्रचार में हों हों करते हैं कि संविधान दोषी नहीं है बल्कि लोग दोषी है। यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही है कि संविधान दोषी नहीं है बल्कि लोग दोषी है। यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही है कि यदि चरित्र के उत्थान पतन में संविधान की कोई भूमिका नहीं है तो फिर उसकी आवश्यकता तथा उपयोगिता ही क्या है? क्या न इसे छोटा करके इसकी सक्रियता तथा हस्तक्षेप को घटा दिया जाये? मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारत में व्याप्त अधिकांश समस्याएँ या तो भारतीय संविधान की कमजोरियों के कारण हैं या भारतीय संविधान की सक्रियता के **By product** हैं।

अब हम विचार करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या कमजोरियाँ हैं—

1. जनकल्याण को अपराध नियंत्रण नियंत्रण से अधिक प्राथमिकता —

सरकार और संविधान की तुलना किसी गाडो के ब्रेक से की जाती है जो सामान्यकाल में गाडो की चाल से निर्लिप्त रहता है किन्तु आपात्काल में सक्रिय हो जाता है। भारतीय संविधान की विपरीत भूमिका रही। सामान्य लोगों के जीवन में तो संविधान और सरकार पग पग पर सक्रिय रही किन्तु अपराध नियंत्रण के मामले में उसका ब्रेक फेल हो गया अपराध नियंत्रण सरकार का दायित्व होता है और जनकल्याण के कार्य उसका कर्तव्य भारतीय संविधान दायित्व और कर्तव्य के फर्क को रेखांकित नहीं कर सका जिससे जनकल्याण के कार्य तो सरकार के दायित्व बन गये और अपराध नियंत्रण उसका कर्तव्य।

2. बहुत अधिक द्विअर्थी तथा अस्पष्ट—

किसी भी संविधान की यह विशेषता आवश्यक है कि उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो। यदि किसी संविधान की भाषा द्विअर्थी हो तो यह उस संविधान का दोष माना जायेगा। दो चार द्विअर्थी वाक्यों का होना तो स्वाभाविक है किन्तु भारतीय संविधान तो ऐसे **Interpretations** से भरा पडा है। संविधान के अधिकांश अंशों की व्याख्या करते समय संसद एक अर्थ निकालती है तो हाईकोर्ट बदल देता है। हाईकोर्ट के अर्थ सुप्रीम कोर्ट और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के अर्थ भी उसकी पूर्ण पीठ बदल देती है। शंका होती है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट होता तो शायद अनेक निष्कर्ष बदल दिये गये होते।

3. अस्पष्ट उद्देश्य —

किसी भी संविधान को देखने पढ़ने से यह स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान निर्माता क्या चाहता है अपने मुख्य उद्देश्य को मजबूती से रखकर परन्तु के साथ अपवाद जोड़ने की प्रथा है। भारतीय संविधान की यह कमजोरी रही कि उसमें हर जगह मुख्य वाक्य को परन्तु लिखकर अर्थहीन बना दिया गया। सरकार किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगी किन्तु आदिवासी, हरिजन, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग तथा महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाये जा सकते हैं। इसी तरह हिन्दी भारत की राजभाषा होगी किन्तु संसद जब तक चाहे अंग्रेजी को कायम रख सकती है आदि।

4. व्यक्ति इकाई के स्थान पर वर्ग भेद —

प्रजातांत्रिक देशों के संविधान की यह विशेषता रही है कि वे व्यक्ति के इकाई मानते रहे न कि जाति, धर्म या लिंग को होना तो यह चाहिए था कि संविधान भारत के सौ करोड व्यक्तियों का होता तथा परिवार, ग्राम, जिला और प्रान्त व्यवस्था की इकाइयाँ होती। किन्तु भारतीय संविधान धर्मों, जातियों, भाषाओं, लिंगों का संघ बन गया। संविधान ने परिवार और ग्राम के लिये तो कुछ सोचा ही नहीं भारतीय संविधान ने परिवार शब्द तो है ही नहीं ग्राम शब्द भी एकाध जगह आवांछित सरीखा आ गया है। इससे सारे अधिकार और दायित्व भी केन्द्रित हो गये तथा व्यवस्था में परिवार और गाँव की भागीदारी शून्य हो गई। साथ ही वर्ग मान्यता के कारण वर्ग विद्वेष भी पैदा हो गया।

5. बहुत बडा —

संविधान की यह विशेषता होती है कि वह सरकार की सीमाएँ निश्चित करने तक सीमित रहे इस हिसाब से संविधान को बहुत छोटा होना चाहिए किन्तु भारतीय संविधान में तीन सौ पंचान्वे धाराएँ हैं और उन धाराओं में लम्बे लम्बे किन्तु परन्तु हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है तथा वह सामान्य जनता की पाँच और समझ से दूर है।

6. मौलिकता का अभाव –

संविधान किसी भी व्यवस्था की आत्मा माना जाता है। उसे मौलिक तथा दबाव मुक्त परिस्थितियों में बनना चाहिये। भारतीय संविधान निर्माताओं की मजबूरी थी कि उनके साथ त्यागी, तपस्वी और जुझारू व्यक्तित्व वालों की टीम तो थी किन्तु विचारको को अभाव था परिस्थितिवश यह स्वाभाविक भी था क्योंकि गुलाम भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका इन्हो सबकी थी परिणाम हुआ कि भारतीय संविधान मौलिक तथा भारतीय परिस्थितियों का आवश्यक प्रतिबिम्ब न बनकर दुनिया के अनेक देशों के संविधानों के अंशों की खिचड़ो मात्र बन गया। उस समय की परिस्थितियों की मजबूरी भी थी कि संविधानों निर्माताओं को अंग्रेजो तथा कुछ भारतीय वर्गो से न चाहते हुए भी समझौते करने पड़े।

7. व्यावहारिकता का अभाव –

किसी भी संविधान की यह अनिवायता होती है कि वह व्यावहारिक हो आदर्शवादी नहीं उस समय के संविधान निर्माता भावना प्रधान तथा उच्च आदर्शवादी थे फिर स्वतंत्रता संघर्ष के समय उन्होंने और भी बढ चढकर आदर्शवादी घोषणाएँ कर रखी थी। परिणाम हुआ कि भारतीय संविधान उच्च आदर्शवादी तो बन गया किन्तु उसमें व्यावहारिकता का अभाव रहा।

उपर उल्लेखित तथा आगे वर्णित कारणों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत की वर्तमान अव्यवस्था तथा कुव्यवस्था के कारण भारतीय संविधान में ही विधमान है। अतः संविधान में आमूल चूल संशोधन आवश्यक है।

प्रश्न – संविधान और कानून कभी भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। आप अनावश्यक रूप से संविधान और कानून के पीछे पडे है।

उत्तर – मैं आपकी भावना से सहमत हूँ कि संविधान और कानून सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है कि संविधान निर्माताओं ने इस सच्चाई को नकार दिया तथा भारी भरकम संविधान और तदनुसार कानून बना डाले परिणाम यह हुआ कि सामाजिक बदलाव तो नहीं आया उल्टे संविधान ही विफल हो गया। अब मेरा मत है कि इस सच्चाई को स्वीकार किया जाय और संविधान तथा कानूनों को कम से कम करके लोगों के लिए संविधान का छोटा प्रारूप प्रस्तुत किया जाये मेरा आप सब पर आरोप है कि आप संविधान के स्वरूप को छोटा करने के प्रयास का अनावश्यक विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान तथा कानून से कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ करता है।

प्रस्तावित संविधान का प्रारूप

उद्देश्यिका (Preamble)

हम भारत के नागरिक भारत में संविधान सम्मति गणतंत्र बनाने तथा सभी नागरिकों को—

- (1) सत्ता का अकेन्द्रीयकरण
- (2) अपराध मुक्ति
- (3) आर्थिक अकेन्द्रीयकरण
- (4) श्रम सम्मान
- (5) समान नागरिक संहिता

भाग 1— परिभाषा

- (1) क. परिवार – सयुक्त सम्पति संयुक्त उत्तरदायित्व तथा संविधान की धारा 111 के आधार पर पंजीकरण कराने वाल व्यक्तियों का समूह।
ख. प्रधान न्यायाधीश – सवाच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
ग. मूल रूपया – सन 80 के आधार वर्ष पर रूपये का मूल्य।
घ. कृत्रिम ऊर्जा – पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिटटी तेल और बिजलो।
ड. संसद – लोकसभा तथा परिवार सभा।
च. राज्य— संसद संघ तथा उसकी शासन व्यवस्था।

भाग 2 – संघ संघ क्षेत्र और नागरिकता

2. भारत परिवारों का संघ होगा।
3. संघ और संघ क्षेत्र में होंगे जो –
 1. वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार संघ क्षेत्र है।
 2. भविष्य में भारत संघ में शामिल हो।
4. 1. वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो –
 - (क) इस संविधान के प्रारंभ में विधिवत भारत का नागरिक है।
 - (ख) संसद द्वारा बनाय गये नियमों के अनुसार भारत की नागरिकता ग्रहण करें।
2. जो व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे वह विधि अनुसार छोड़ सकेगा।

भाग 3 – मूल अधिकार

5. राज्य या संसद धारा 165/6 के अतिरिक्त कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा जो संविधान के इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो।
6. भारत के प्रत्येक नागरिक को
 1. जीने का
 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का
 3. सम्पत्ति का
 4. स्व निर्णय का

उस सीमा तक अधिकार होगा कि वह किसी अन्य नागरिक के इस धारा में वर्णित अधिकारों का हनन न करे।

7. यदि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का इस प्रकार उपयोग करता है कि उससे किसी अन्य व्यक्ति के किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो राज्य का यह दायित्व होगा कि उस अन्य व्यक्ति के उस मूल अधिकार की रक्षा करे तथा हनन करने वाले व्यक्ति को विधि अनुसार दण्डित करे संसद को यह शक्ति होगी कि वह विधि विरुद्ध कार्य करने वाले का दण्डित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की राय से विधि बनावे।

8. राज्य का यह भी दायित्व होगा कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन होने पर उक्त को वैसा मुआवजा दे जो न्यायालय विधि अनुसार उचित समझे।

9. किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जायेगा जब वह कोई ऐसा कार्य करे जो राज्य द्वारा आयोजित किसी विधि के विरुद्ध हो साथ ही उसे वही सजा दी जा सकेगी जो कार्य करते समय प्रवृत्ति विधि के अधीन घोषित थी।

10. किसी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जायेगा।

11. किसी व्यक्ति का उसके मूल अधिकारों से विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकेगा।

12. प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है।

क.) उसकी गिरफ्तारी का कारण उसे तुरन्त बताया जायेगा।

ख.) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके उनकी अनुमति के बिना गिरफ्तारी के चौबीस घण्टे से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकेगा।

परन्तु यदि आवागमन की दूरी के कारण कुछ विलम्ब हो तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति पर विचार करेगा।

ग.) अपनी रुचि के वकील से परामर्श या प्रतिरक्षा के उपाय से वंचित नहीं किया जायेगा।

13. हर व्यक्ति को विधिपूर्वक अर्जित की हुई सम्पति किसी भी सीमा तक रखने का अधिकार होगा परन्तु संसद को धारा 162/2, 129 तथा 153 (2) के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा।

14. संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति की सम्पति को अर्जित करने का नियम बना सके यदि –

1. राज्य को उक्त सम्पति की आवश्यकता हो।

2. राज्य के दृष्टि में किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण पत्र में घोषित मूल्य से सम्पति का मूल्य अधिक हो।

3. कोई अन्य व्यक्ति सम्पति का मूल्य घोषित मूल्य से न्यूनतम तीस प्रतिशत अधिक देने का सहमत हो।

परन्तु किसी भी व्यक्ति की सम्पति का अर्जन नहीं किया जा सकता यदि –

(क) उस घोषित मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक मूल्य न दिया जाय।

(ख) पंजीकरण पत्र में मूल्य घोषणा के बाद किसी विशेष कारण से उक्त सम्पति का मालिक घोषणा में संशोधन हेतु सहमत हो।

(ग) उपधारा (1) (2) के अन्तर्गत आने वाले स्थिति में संपत्ति का मालिक प्रस्तावित मूल्य का 10 प्रतिशत राज्य या घोषणा करने वाले व्यक्ति को देने हेतु सहमत हो जाये।

15. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है इसके लिये उच्चतम न्यायालय को आवश्यकतानुसार आदेश बन्दी प्रत्यक्षीकरण, रिट, परमादेश, अधिकार, पृच्छा, प्रतिशोध और उत्प्रेरणा रिट जारी करने की शक्ति होगी।

16. किसी भी व्यक्ति के आपराधिक आचरण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्तिगत आचरण की व्यक्तिगत आलोचना उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा।

भाग 4 – राज्य और उसकी संरचना

17. भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

18. (क) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

(ख) संघ के रक्षा का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा तथा उसकी प्रयोगविधि द्वारा विनियमित होगा।

(ग) इस अनुच्छेद की कोई बात राष्ट्रपति से भिन्न अन्य पाधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवाश्रित नहीं करेगी।

19. राष्ट्रपति का निर्वाचन संघ सभा के सदस्यों द्वारा होगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकेगा।

20. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकेगा।

21.(1) राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण न करे तब तक पद पर बना रहेगा।

क. यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिखे लेख द्वारा अपने पद का त्याग न करने दे।

ख. या राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर धारा 28 में उपबंधित रीति से चलाये गये महाभियोग द्वारा पद से न हटा दिया जाये।

(2) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोक सभा एवं परिवार सभा के अध्यक्षों को देगा।

22. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

23. उपराष्ट्रपति परिवार सभा का पदेन सभापति होगा तथा संघ सभा एवं संघ पंचायत का सभापति होगा।

24. 1. राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर लें।

2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी या अन्य कारणों से कार्य असमर्थता की स्थिति में उनके फिर से कार्य संभालने तक राष्ट्रपति का कार्य भार उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे।

3. उपधारा 1. तथा 2. की स्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएँ भत्ते शक्तियाँ तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त होगी।

25. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परिवार सभा द्वारा अपने बीच से ही किया जायेगा।

26. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद के कार्यकाल में न तो कोई लाभ का पद रख सकेंगे न ही किसी परिवार पंचायत सभा अथवा सदन के सदस्य ही रह सकेंगे।

27. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष या नयी व्यवस्था होने तक का होगा यदि –

1. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके तथा स्वयं के हाथ से लिखित पत्र द्वारा पद न छोड़ दे।

परिवार सभा उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प न पारित कर दे जो उपस्थित परिवार सभी सदस्यों के 2/3 मत से कम न हो।

28 1. जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप लगा सकेगा यह आरोप उस सदन के न्यूनतम एकचौथाई सदस्यों द्वारा सूचित करने के चौदह दिन बाद ही विचार करके उस सदन के न्यूनतम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक रहेगा।

2. उपधारा एक के आधार पर उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये महाभियोग प्रस्ताव पर दूसरा सदन विचार करेगा। राष्ट्रपति के विचार सुनेगा तथा न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से ही उक्त प्रस्ताव को पारित कर सकेगा इस प्रकार दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित कर सकेगा इस प्रकार दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होत ही उपराष्ट्रपति को सूचना दी जायगी तथा राष्ट्रपति का पद स्वमेव रिक्त हो जायेगा।

29. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद बीच में खाली होने पर अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर फिर से चुनाव होगा तथा नये निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पाँच वर्ष होगा।

30 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषयों का विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी।

31 राष्ट्रपति को किसी अपराधी के दण्ड को क्षमा करने सजा में परिवर्तन या निलम्बन का अधिकार होगा।

32 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन्ही विषयों तक होगा जिन विषयों के सम्बन्धों में संसद को विधि बनाने की शक्ति है।

33. 1. राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता तथा सलाह देने के लिये मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

परन्तु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के आधार पर कार्य किया जायेगा।

2. राष्ट्रपति तथा मंत्रीपरिषद के बीच की सलाह के विषय में न्यायालय को जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

34. 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

2. मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

3. मंत्री परिषद सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

4. मंत्रियों के वेतन भत्ते शपथ इस प्रकार होगी जैसे संसद निश्चित कर।

5. प्रधानमंत्री अथवा मंत्री परिषद के सदस्य को 6 माह के अन्दर संसद सदस्य होना अनिवार्य होगा यदि वह बाहरी है।

35 मंत्री मण्डल प्रत्येक पांच वर्ष पर स्वमेव भंग हो जायेगा तथा राष्ट्रपति

1. समय पूरा होने के बाद भंग होने पर।

2. बीच में ही लोक सभा का विश्वास खो देने पर।

3. त्याग पत्र दे देने पर।

नई मंत्री परिषद का गठन करेगा। इस मंत्री परिषद की अवधि भी पांच वर्ष होगी।

36 1. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जायेगी।

2. राष्ट्रपति के नाम से किये गये कार्यों आदर्शों को राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर अभिप्रमाणित किया जा सकेगा। ऐसे अभिप्रमाणित कार्य राष्ट्रपति द्वारा किये गये मान जायेगे।

3. राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए मंत्रियों में कार्य आबंटन के नियम बनायेगा।

37 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह —

1. संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे वह उपलब्ध करावे।

38 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दानो सदनों को मिलाकर बनेगी जिसके नाम लोकसभा आर परिवार सभा होंगे।

39 परिवार सभा निम्नांकित को मिलाकर बनेगी —

1. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ऐसे दस व्यक्ति जिन्हें साहित्य विज्ञान कला या सामाजिक सेवा के विषय में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।

2. प्रान्तीय सभाओं द्वारा अपने बीच से चुने गये व्यक्ति जो प्रत्येक प्रान्तीय सभा द्वारा प्रत्येक दो के अनुपात से चुने जायेगे।

3. संघ सभा द्वारा आपने बीच से चुने गये चालीस सदस्यों

- 40 1. लोकसभा चार सौ पंचानबे निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक से एक के आधार पर चुनकर आये सदस्यों से मिलाकर बनेगी।
2. बीस जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र होगा।
3. लोकसभा सदस्य के चुनाव मे परिवार के मुखिया/उप मुखिया द्वारा अपनी सदस्य संख्या के आधार पर मत दिया जायेगा।
- 41 लोक सभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक सौ सदस्यों का होगा जो प्रत्येक प्रदेश से होंगे। साथ ही किसी सदस्य के त्यागपत्र मत्तु अथवा निष्कासन की स्थिति में उस स्थान पर उसके कार्यकाल के बीच में भी निर्वाचन होगा। उक्त सदस्य का कार्यकाल उतना ही होगा जितना जाने वाले का शेष था।
- 42 राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह उसी वर्ष पद मुक्त होने वाले सदस्यों की टीम को समय पूर्व ही भंग करके उसका तत्काल चुनाव करा दे। यह चुनाव बाद में होने वाले चुनाव के समान माना जायेगा।
- 43 परिवार सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
- 44 राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह परिवार सभा को कभी भी भंग करके उसका चुनाव फिर से करा दे यदि उसका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष हो चुका हो।
- 45 धारा 44 के आधार पर बनी परिवार सभा का कार्यकाल भी धारा 43 के अनुसार ही होगा।
- 46 चुनाव आयोग के अन्तर्गत होने वाले किसी भी चुनाव के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- 47 राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिये आहुत करेगा जैसा वह उचित समझे तथा जिसका समय पिछली बैठक से छः माह से अधिक न हुआ हो।
- 48 राष्ट्रपति समय समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा।
- 49 1. राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक सदन या दोनो सदनों के एक साथ अभिभाषण करेगा तथा संसद को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।
2. प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करने हेतु उपबंध किया जाएगा।
- 50 प्रत्येक मंत्री का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की बैठक में भाग ले और वाले किन्तु वह उस सदन में मत नहीं दे सकेगा जिसका वह सदस्य नहीं है।
- 51 परिवार सभा अपने बीच स एक उप सभापति का चुनाव करेगी जा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनके या राष्ट्रपति का दायित्व संभालने की स्थिति में अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति का कार्य संभालेगा।
- 52 परिवार सभा के उपसभापति की पद मुक्ति उपराष्ट्रपति के समान होगी।
- 53 संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन द्वारा निर्मित किसी इकाई के पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करते समय वह व्यक्ति न तो उक्त प्रस्ताव पर मतदान कर सकेगा। न हो अध्यक्षता या संचालन परन्तु वह विचार विमर्श में भाग ले सकेगा।
- 54 लोकसभा के किसी सदस्य के विरुद्ध उसी लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाल न्यूनतम पंद्रह जिलों की जिला पंचायतें एकसाथ बैठकर प्रस्ताव पारित करती है तो उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त हा जायेगी। ऐसा प्रस्ताव न्यूनतम पांच जिला पंचायत द्वारा पारित करके प्रान्तीय पंचायत के अध्यक्ष को दिया जायेगा तथा प्रांतीय पंचायत का अध्यक्ष बीस जिला पंचायतों की बैठक करेगा।
- 55 1. लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।
2. लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तभी तक अपन पद पर रहेंगे जब तक –
- (क) वे स्वयं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र न दे।
- (ख) लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटा न दे।
- (ग) वह लोकसभा का सदस्य न रहे।
- 56 संसद के किसी सदन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकेगा जिसे सदन अवधारित करे।
- 57 प्रत्येक सदन के सभापति उपसभापति तथा सदस्य ऐसे वेतन भत्ते या सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे जो संघ सभा समय समय पर निश्चित करें।
- 58 संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृन्द होगा। संसद ऐसे कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति सेवा शर्तें वेतन भत्ते आदि के नियम बना सकेगी।
- 59 पद ग्रहण करते समय –

1. राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश के समक्ष।
2. उपराष्ट्रपति मंत्रीमण्डल के सदस्य प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष।
3. संसद सदस्य तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष।

अनुसूची एक में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। तथा हस्ताक्षर करेगा।

60 एक व्यक्ति संसद के एक ही सदन का सदस्य रह सकेगा। परन्तु एक ही व्यक्ति संसद का सदस्य होते हुए किसी पंचायत का सदस्य रह सकता है।

61 संसद का कोई सदस्य भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा।

62 यदि किसी संसद सदस्य की योग्यता को चुनौती दी जाती है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की सलाह से अन्तिम निर्णय करेगा। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

63 1. इस संविधान के उपबंधों के तथा संसद की प्रक्रिया का नियमन करने वाले नियमों तथा स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा।

2. संसद में या उसकी समिति में कही गई किसी सदस्य की कोई बात या उसके दिये गये मत के विषय में न्यायालय कोई विचार नहीं कर सकेगा। परन्तु यदि कोई संसद सदस्य आरोप लगाता है कि उसे बलपूर्वक अपना नियमानुसार मत देने या विचार प्रकट करने में अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी ने बाधा उत्पन्न की है तो न्यायालय ऐसे मामले में सुनवाई कर सकेगा।

64 कोई भी विधेयक –

1. संसद के किसी भी सदन में पारंभ हो सकेगा।

4. संसद के दोनों सदनों की अलग-अलग अक्षरशः सहमति के बाद ही पारित माना जायेगा।

5. संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक या संशोधन पर अन्तिम रूप से सहमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तथा संयुक्त बैठक के निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।

64 संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग या संयुक्त रूप से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् विधेयक पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी किन्तु संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित विधेयक के राष्ट्रपति अपनी असहमति होने पर पुनः संयुक्त बैठक में प्रस्तुत कर सकता है।

65 1. राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ से न्यूनतम एक माह पूर्व संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की आगामो वर्ष की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा।

2. संसद में रखे जाने वाले प्राकलन विवरण का स्वरूप संसद निश्चित करेगी।

3. संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक के अतिरिक्त व्ययों के लिये संसद से अनुदान मांग विधेयक स्वीकृत कराकर ही खर्च किया जा सकेगा।

4. संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक और अनुदान विधेयक के आधार पर शासन संचित निधि से राशि आहरित कर सकेगी।

67 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन तथा संविधान सभा अपनी प्रक्रिया और अपन कार्य संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

68 दोनों सदना की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा।

69 संसद वित्तिय कार्य या भारत की संचित निधि से विनियोग हेतु संसदीय स्वीकृति समय के भीतर करने की व्यवस्था करगी यदि संविधान का कोई भी उपबन्ध ऐसे कार्य में बाधक होगा तो राष्ट्रपति ऐसी बाधा को तत्काल दूर करने हेतु लोकसभा से निवेदन करेगा तथा लोकसभा यह मानकर कि भविष्य में विधिवत प्रक्रिया पूरी हो जायेगी उक्त निवेदन के आधार पर स्वीकृति दे सकती है।

परन्तु ऐसी स्वीकृति अन्य वर्ष की बाधाओं के लिए लाभ तब तक नहीं दे सकेगी जब तक उसे विधिवत पारित न करा लिया जाये।

70 1. संसद किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया को किसी अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

2. संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद के चालन के दायित्व को पूरा करने में किये गये कार्यों के लिये न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा।

71 राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि अविलम्ब कार्यवाही आवश्यक है परन्तु संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकेगा जिसकी शक्ति संसद का अगला सत्र समाप्त होने के ठीक पूर्व तक उसी तरह की होगी जैसे ससद में पारित प्रस्ताव की होती है।

72 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।

73 उच्चतम न्यायालय का एक प्रधान न्यायाधीश तथा ग्यारह अन्य न्यायाधीश होंगे।

74 प्रधान न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे परन्तु –

1. किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय प्रधान न्यायाधीश की सलाह आवश्यक है।

2. न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति 1. प्रधान न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय का तथा। 2. न्यायाधीश के लिये किसी या किन्हीं प्रादेशिक न्यायालयों में न्यूनतम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।

75 उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता जो राष्ट्रपति के महाभियोग में अपनाई जाती है।

76 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की उम्र से अधिक उम्र तक कार्य नहीं कर सकेंगे।

77 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में संसद विचार करेगी तथा संसद की अवमानना पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा।

78 उच्चतम न्यायालय दिल्ली या प्रधान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान पर अधिविष्टि होगा।

79 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का

1. संविधान की किसी भी धारा की व्याख्या करने का

2. भारत के अन्दर स्थापित किसी भी प्रशासनिक इकाई संसद संघ सभा पंचायत या परिवार के आपसी विवाद अपील के माध्यम या सीधे या किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमों को मंगाकर।

3. प्रादेशिक न्यायालयों के विरुद्ध अपील या मंगाकर, सुनने तथा निर्णय करने का अधिकार होगा।

80 सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक प्रदेश में एक प्रान्तीय न्यायालय जिले में जिला न्यायालय तथा आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों की इस प्रकार स्थापना व्यवस्था तथा संचालन करेगा कि प्रत्येक नागरिक के न्याय मिले तथा अपराधों पर सक्षम नियंत्रण हों।

81 सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति न्यायालयों की व्यवस्था संबंधी विधि बनायेगा।

82 सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर संसद ऐसी विधि बनायेगी जिसके आधार पर प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपराधियों के दण्ड की व्यवस्था हो सके। परन्तु यदि संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच किसी मुद्दे पर अंतिम रूप से असहमति होगी तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीश मिलकर अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे।

83 यदि संविधान की किसी धारा की व्याख्या के मुद्दे पर न्यूनतम पचीस प्रतिशत न्यायाधीश असहमत हो जाते हैं तो न्यायाधीशों की दोना प्रकार की व्याख्याएँ संविधान सभा के समक्ष जायेंगी तथा संविधान सभा बिना अपना कोई अन्य मत व्यक्त किये किसी एक मान्यता को स्वीकार करेगी जो अंतिम व्याख्या होगी।

84 यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड घोषित किया गया है तथा वह व्यक्ति दोनों आंखें दान देकर जीवित रहने की याचना करता है न्यायालय संसद द्वारा निश्चित विधि के आधार पर जिसमें उसकी जमानत या अन्य शर्तों उल्लेखित हों उस व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति दे सकेगा।

85 सर्वोच्च न्यायालय की देश के किसी भी न्यायालय पर किसी भी मामले में सर्वोच्चता प्राप्त होगी।

86 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान से प्राप्त अधिकारों के भीतर दिये गये निर्णय सरकार तथा संसद के लिये बाध्यकारी होंगे।

87 संसद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ देने के लिये सक्षम है जो इस संविधान की किसी धारा के प्रतिकूल न हो तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक हों।

88 किसी भी न्यायालय की सुनवाई तथा निर्णय गुप्त नहीं होंगे परन्तु 1. उपरोक्त धारा संविधान की धारा 149, 150, 151, 152 पर लागू नहीं होगी। 2. कोई न्यायालय किसी प्रकरण विशेष की सुनवाई या निर्णय गुप्त रूप से चलाने की अपने ऊपर के न्यायालय से अनुमति न ले चुका हो।

89 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ प्रमुख न्यायाधीश या उनसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति संघ आयोग के परामर्श से करेगा।

90 अपराधियों के आर्थिक दण्ड तथा न्यायालय के व्यय के बीच ऐसा संतुलन बनाने का प्रयास किय जायेगा कि न्यायालय का काइ व्यय भारत की संचित निधि पर भारित न हो।

91 भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा उसे उसी विधि से हटाया जा सकेगा जो राष्ट्रपति के लिये निश्चित है।

92 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन तथा सेवा शर्तों ऐसी होंगी जो संसद निर्धारित करे।

- 93 संविधान तथा संसद की विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्य करने वाले लोगों को प्रशासनिक शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें वही होंगी जो महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति निश्चित करें।
- 94 नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी भी सभा पंचायत सघ शासन के आय व्यय संबंधी
1. लेखा पुस्तकें रखने की विधि राष्ट्रपति से बनवायेगा।
 2. उनकी समय-समय पर जांच करेगा।
 3. जांच पश्चात् उनकी रिपोर्ट संविधान सभा में एवं राष्ट्रपति को पेश करेगा जा संसद तथा सघ सभा के समक्ष रखी जायेगी।
- 95 (क) राष्ट्रपति अपने पद की शैलियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिये किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।
- (ख) राष्ट्रपति पर उसकी पद अवधि के अन्तर्गत किसी प्रकार के दण्ड, गिरफ्तारी या मुकदमा चाले रखने की कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जायेगी।

— — — भाग —5 परिवार — — —

- 96 भारत का प्रत्येक नागरिक किसी परिवार का सदस्य होगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य नहीं है, न रहना चाहता है तो वह एकल परिवार बना सकता है जिसे मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार होंगे। ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य नहीं बन सकेगा न वह कोई चुनाव लड़ सकेगा।
- 97 प्रत्येक परिवार का एक परिवार प्रमुख होगा जो उस परिवार में सब से अधिक उम्र का व्यक्ति होगा। यदि ऐसा परिवार का मुखिया चुन लिया जाता है तो उसके बाद की उम्र का व्यक्ति प्रमुख बनेगा।
- 98 प्रत्येक परिवार में उतने उपपरिवार होंगे जितने गाँव में वे निवास करते होंगे।
- 99 प्रत्येक उपपरिवार का एक मुखिया होगा जिसका चयन उपपरिवार के सभी सदस्य गुप्त मतदान द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से करेंगे तथा जिसका कार्यकाल पांच वर्ष होगा।
- 100 परिवार के प्रत्येक सदस्य की सम्पत्ति सामूहिक होगी तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति पर प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा। वह सम्पत्ति किसी व्यक्ति के परिवार छोड़ते समय उसकी व्यक्तिगत होगी तथा नये परिवार में शामिल हाते ही उस परिवार की हो जायेगी। किसी सदस्य के समानता के अधिकार को किसी समझौते द्वारा कम नहीं किया जा सकता।
- 101 प्रत्येक सदस्य के मौलिक अधिकार परिवार में भी सुरक्षित और निहित होंगे। परन्तु किसी बात के लिये परिवार का कोई सदस्य —
1. परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध
 2. किसी अन्य परिवार के विरुद्ध बिना मुखिया की सहमति के किसी न्यायालय या पुलिस में जाता है तो उसकी उक्त परिवार से संबद्धता तत्काल समाप्त हो जायेगी।
 3. परन्तु उक्त बंधन उसके पंचायत या सभा में अपनी बात रखने पर लागू नहीं होगा तथा उन स्थितियों में भी नहीं होगा जब तत्काल मुखिया की सहमति संभव न हो तथा संभव होते ही सहमति मिल जावे।
- 102 उपपरिवार का मुखिया परिवार प्रमुख के नाम तथा सहमति से ही उपपरिवार का संचालन करेगा। किसी मुद्दे पर प्रमुख द्वारा अन्तिम रूप से अस्वीकार करने पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्णय करेंगे।
- 103 परिवार की कार्य प्रणाली परिवार के लोग तय करेंगे।
- 104 परिवार प्रमुख मुखिया को कभी भी बर्खास्त कर सकेगा परन्तु यदि परिवार ऐसी स्थिति में दो तिहाई बहुमत से उसी का या किसी अन्य का चयन कर दे तो मुखिया को प्रमुख नहीं हटा सकेगा।
- 105 यदि परिवार चाहे तो किसी मुखिया के प्रस्ताव पर 90 प्रतिशत के बहुमत से प्रमुख को अवकाश देकर उसके बाद की उम्र के सदस्य का चुन सकता है।
- 106 यदि परिवार चाहे तो दो तिहाई बहुमत से किसी मुखिया को हटाकर बहुमत से नया मुखिया नियुक्त कर सकता है। जो उपपरिवार का मुखिया होगा।
- 107 यदि कोई व्यक्ति शासकीय परिवार में शामिल हाता है तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा अधिकार शासन में निहित करेगा। ऐसा व्यक्ति शासन से मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष सात सौ मूल रूपया तथा बीमार होने की स्थिति में जमा सम्पत्ति के अतिरिक्त 4000 मूल रूपये

इलाज खर्च कराने का पात्र होगा। साथ ही यह भी कि यदि उसकी बीमारी पर कोई खर्च नहीं हुआ तो वह पुनः शासन में निहित अपनी सम्पति लेकर किसी परिवार में शामिल हो सकता है। पर एकल परिवार नहीं बन सकता।

- 108 परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति के लिये उस परिवार को सामूहिक रूप से दण्ड दे सकेगा जिस परिवार का निर्णय होते समय वह सदस्य है।
- 109 न्याय बाढ़ सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विदेश व्यापार तथा व्यवहार एवं वित्त विभाग केन्द्र सरकार के अधिकार में होंगे। अन्य सभी व्यवहार के अधिकार परिवार में निहित होंगे तो वह आवश्यकतानुसार ग्राम सभा को दे सकगा। संसद को उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा।
- 110 संघ तथा संसद के बीच टकराव की स्थिति में लोक सभा परिवार तथा संघ पंचायत बैठकर दो तिहाई बहुमत से निष्कर्ष निकालेंगे तथा यदि कोई समस्या फिर भी बनी रहती है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति मिलकर जो निर्णय करेंगे वह अंतिम होगा। परन्तु यदि ऐसा निर्णय असंवैधानिक है तो न्यायालय में जाने पर कोई रोक नहीं होगी।
- 111 1. प्रत्येक परिवार उस ग्राम सभा के अध्यक्ष के पास पंजीकृत होगा जिसमें (क) उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूरा विवरण तथा (ख) उसकी सम्पूर्ण सम्पति का उस समय के आधार पर मूल्य अंकित होगा।
2. प्रत्येक पंजीकरण पर ग्रामसभा की एक फीस होगी जो प्रत्येक परिवार के लिये समान होगी।
3. पंजीकरण से प्राप्त सम्पूर्ण धन पंजीकरण के व्यय काटकर उस ग्राम सभा के प्रत्येक परिवार में सदस्य संख्या के आधार पर वितरित कर दिया जायेगा।
4. पंजीकरण शुल्क का निर्धारण संसद करेगी।
5. यदि उप परिवार होगा तो।
- प्रत्येक मुखिया अपने उप परिवार का अपनी ग्राम सभा में पंजीकरण करावेगा जिसमें उक्त उपपरिवार के सभी सदस्यों का विवरण अंकित होगा।

— भाग 6 सभाएँ तथा पंचायतें —

- 112 (1) परिवार के बीच सुविधा के लिये ग्राम सभा बनाई जायेगी।
- (2) ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा इस तरह बनाई जायेगी कि देश की किसी भी ग्राम सभा की न्यूनतम तथा अधिकतम आबादी का अन्तर तीन गुना से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक उपपरिवार का मुखिया ग्राम सभा का सदस्य होगा।
- (4) ग्राम सभा के वे ही अधिकार तथा कर्तव्य होंगे जो वह 90 प्रतिशत के बहुमत से तय करे।
- 113 (1.) ऐसी ग्राम सभा अपने सदस्यों के बीच से सात लोगों का चुनाव करके ग्राम पंचायत बनायेगी।
- (2) ग्राम पंचायत के वे ही अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली होगी जो ग्राम सभा तय करे।
- 114 1. अधिकतम 99 पंचायतों की एक जिला सभा होगी। इन पंचायतों के सभी सदस्य जिला सभा के सदस्य होंगे।
2. प्रत्येक जिला सभा अपने बीच से सात लोगों का चुनाव करके एक जिला पंचायत बनायेगा।
3. जिला सभा तथा जिला पंचायत के अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली जिला पंचायत के अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली जिला सभा तय करेगी।
- 115 1. अधिकतम 100 जिला पंचायतों को मिलाकर एक प्रान्तीय सभा बनेगी। जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य उसका सदस्य होगा।
2. ऐसी प्रान्तीय सभा अपने बीच में बीस लोगों का चयन करके एक प्रान्तीय पंचायत का गठन करेगी।
3. प्रान्तीय सभा तथा प्रान्तीय पंचायतों के कर्तव्य अधिकार तथा कार्यप्रणाली प्रान्तीय सभा तय करेगी।
- 116 अधिकतम 100 प्रान्तीय पंचायतें मिलकर एक संघ सभा का गठन करेगी। प्रान्तीय पंचायत का प्रत्येक सदस्य संघ सभा का सदस्य होगा।
- 117 संघ सभा अपने बीच से पचास लोगों का चयन करके संघ पंचायत बनायेगी।

- 118 संघ सभा तथा संघ पंचायत के वे ही अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली होगी जो संघ सभा निश्चित करे।
- 119 यदि किसी पंचायत का कोई सदस्य या पंचायत उपर वाली सभा की सदस्यता न ग्राहण करना चाहे तो वह स्वतंत्र है परन्तु उपर वाली सभा के निर्णय उस पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।
- 120 सभाओं का परिसीमन इस तरह किया जायेगा कि संघ सभा के बनने के बाद कोई सभा शेष न बच जाये।
- 121 लोकसभा और ग्राम पंचायत के चुनाव तथा ग्राम सभा के सभी कार्यों में मुखिया ही मतदान करेगा एवं मतदान के समय मुखिया के मत उसकी सदस्य संख्या के आधार पर गिने जायेंगे।
- 122 केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत जिला सभा तथा जिला पंचायत प्रान्तीय सभा तथा प्रान्तीय पंचायत के अध्यक्ष होंगे।
2. ये अधिकारी किसी भी बैठक का आयोजन तथा संचालन करेंगे शासन से समन्वय स्थापित करायेंगे उपर वाली सभा से आपसी व्यवहार की व्यवस्था करेंगे तथा कोई कठिनाई होने पर शासन तथा उपर वाली सभा को सूचित करेंगे परन्तु ऐसा अधिकारी उक्त सभा या पंचायत के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा तथा अपना मत भी नहीं दे सकेगा। लेकिन ऐसे अधिकारी द्वारा भी बैठक में संवैधानिक या कानूनी स्थिति का बताना हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
3. किसी भी सभा द्वारा पंचायत को दिये गये अधिकारों में नये चुनाव तक कोई कटौती नहीं की जायेगी।
- 123 (1) कोई भी सभा दो तिहाई बहुमत से उस पंचायत को भंग कर सकती है जिसे उसने चुना है। ऐसे पंचायत सदस्य की उपर वाली सभा सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी।
- (2) ऐसी मध्यावधि चुनाव से बनी पंचायत का कार्यकाल वही होगा जो पूर्ववर्ति का शेष था।
- (3) ग्राम सभा का विघटन और चुनाव कभी नहीं होगा।
- 124 ग्राम सभा को छोड़कर अन्य सभी सभाओं तथा पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

भाग 7 वित्त सम्पत्ति तथा समझौते

- 125 संघ राज्य का सम्पूर्ण आय—व्यय भारत की संचित निधि से संचालित होगा।
- 126 भारत की संचित निधि, अन्य किसी भी शासकीय राशि की अभिरक्षा उधार लेन देन अथवा आदान प्रदान संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन होगा।
- 27 इस संविधान क प्रारंभ से तत्काल पूर्व जो सम्पत्ति या देनदारी संघ सरकार राज्य सरकार या स्थानीय शासन के अन्तर्गत निहित थी उन सबका दायित्व संघ सरकार का होगा। परन्तु भूमि या भवन क मामले में स्थानीय शासन की संस्थाओं के भवन या भूमि का स्वामित्व उस क्षेत्र की सभा का होगा जिसमें वह भवन या भूमि स्थित है।
- 128 1. भारत की सीमाओं में पन्द्रह किलोमीटर अथवा पन्द्रह किलोमीटर के आस पास की वह रेखा जो संघ सरकार निश्चित करे कि बीच का भाग संघ सरकार की व्यवस्था तथा स्वामित्व का होगा।
2. उपधारा एक में निवास करने वाले व्यक्तियों का कोई मूल अधिकार नहीं होगा।
- परन्तु संविधान के लागू होने के पूर्व तक निवास करने वाले अपनी सम्पत्ति का मुआवजा ले सकेंगे।
- 129 संसद देश की व्यवस्था के लिये अपने सभी नागरिक, संस्थागत, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, या पारिवारिक सम्पत्ति, पर कर लगा सकेगी जो उस सम्पूर्ण सम्पत्ति का दो प्रतिशत वार्षिक से अधिक से अधिक नहीं हो सकता।
- 130 संसद वर्ष भर व्यय करने तथा भारत की संचित निधि में अधिकतम कुल वार्षिक व्यय के आधे तक संचित करने क बाद शेष धन का प्रत्येक परिवार में उसकी सदस्य संख्या क आधार पर समान रूप में वितरण करने की व्यवस्था करेगी।
- 131 किसी भी सभा अथवा पंचायत को कोई कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। वे स्वयं द्वारा किये गये सेवाओं के लिये फीस लगा सकती है अथवा विशेष आवश्यक होने पर अपने सदस्यों से दान प्राप्त कर सकती है।

- 132 संघ के लिये एक लोक सेवा आयोग होगा। इसके एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ती राष्ट्रपति करगे तथा इनकी योग्यता संसद द्वारा निश्चित की जायेगी। इनका कार्यकाल छः वर्ष का होगा।
- 133 लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह –
 (1)संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन कर।
 (2)संघ की सेवा कर रहे सेवकों की प्रोन्नति स्थानान्तरण या अनुशासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन को सलाह दे।
- 134 संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था पर हाने वाला व्यय भारत की संचित निधि पर अवधारित होगा।
- 135 1. संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के वे अंश जो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को शासन द्वारा अमान्य किये जाने के सम्बन्ध में हो संसद के समक्ष रखवायेगा।
 2. लोक सेवा आयोग की देख रेख में पूरे देश में बी.ए. तथा उसके उपर की शिक्षार्थियों की परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी। ये परीक्षाएँ लेकर दिये गये प्रमाण पत्र वैध होंगे तथा अन्य उपयोगों के साथ किसी भी कालेज के शिक्षक या प्राचार्य होने के लिये आधार होंगे।
136. संविधान में अंकित विशेष उपबन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन में कुल वैध मतदान का पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि ऐसा निर्णायक मत किसी को प्राप्त नहीं होता है तो उस पद के लिये सर्वाधिक तथा उससे कम में सर्वाधिक मत पाने वाले के बीच पुनः सीधा मतदान होगा।
- 137 1. इस संविधान के अधीन बनने वाली ससद, संविधान, सभा, परिवार के मुखिया, पंचायतों तथा अन्य निर्वाचित पदों के लिये कराये जाने वाले सभी चुनावों की व्यवस्था के लिये एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे।
 2.निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन करेगे जिनका कार्यकाल छः वर्ष होगा। कार्यकाल के बीच में इन्हे हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो राष्ट्रपति के लिये नियम है।
 3. चुनाव आयोग संसद परिवार पंचायत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी भी सभा या संसद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की उस तरह व्यवस्था करेगा जैसे संसद नियम बनावें।
- 138 निर्वाचन आयुक्तों का वेतन तथा कार्यविधि ऐसी होगी जैसी संसद निश्चित करे।
- 139 निर्वाचन आयोग का सारा खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होगा।
- 140 इस संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित विषयों को छोड़कर संसद संविधान के अन्तर्गत रहे हुए निर्वाचन संबंधी किसी भी नियम में कभी भी परिवर्तन संशोधन परिवर्तन या निरसन न कर सकेगी।

भाग 9 – भाषा

- 141 1. राज्य की भाषा हिन्दी होगी।
2. संसद को यह अधिकार होगा कि वह हिन्दी के अतिरिक्त किसी एक अन्य भाषा के व्यवहार की अनुमति दे सकेगी।
- 142 संसद के दोनों सदनों में भी हिन्दी तथा अनुच्छेद 141/2 के आधार पर स्वीकृत भाषा का प्रयोग हो सकेगा।
- 143 यदि कोई सदस्य किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहे तो वह कर सकता है परन्तु अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
- 144 कोई भी पंचायत या सभा अपना कार्य किसी भी भाषा में कर सकती है।
- 145 राज्य को यह अधिकार होगा कि वह विदेशों से पत्र व्यवहार किसी भी अन्य भाषा में कर सकता है।

भाग 10 – आपातकाल

- 146 यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी क्षेत्र में सुरक्षा को गंभीर खतरा है तो वह उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीश से प्रत्यक्ष चर्चा करके तथा सहमति से भारत या किसी क्षेत्र में आपातकाल लगा सकेगा।
- 147 1. आपातकाल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीश की टीम को यह विशेष अधिकार होगा कि वह शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन सभी विवेकाधिकारों का उपयोग करें जो वे आवश्यक समझें।
 2. आपातकाल के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले भाग की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकतम 10 प्रतिशत का विशेष कर लगा दे। परन्तु ऐसे किसी आदेश की आवश्यकता के औचित्य को न्यायालय में संघ सभा द्वारा चुनौती दी जा सकेगी। इसके विचार में प्रमुख न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे।

- 148 राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अधिकतम अवधि आगे होने वाले ससदीय सत्र के समापन के ठीक पूर्व समाप्त हो जायेगी या संसद द्वारा किये जाने वाले निश्चय के आधार पर चलेगी।
- 149 यदि जिले की 1.जिला सभा का अध्यक्ष 2. जिला पुलिस प्रमुख 3.जिला जज सर्व सम्मति स अनुभव करें कि उस जिले में गवाहों में भय के कारण न्याय में बाधा पड रही है। तो वे उस जिले को गुप्त रूप से आपात क्षेत्र घोषित कर सकते है। जिसकी सूचना सहमति अवधि अथवा कार्यविधि के लिये किसी अन्य की आवश्यकता नही होगी। परन्तु दो वर्ष के भीतर जिला सभा से सहमति लेनी होगी।
- 150 आपात क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले किसी भी अपराध के लिये पुलिस की गुप्तचर शाखा जिला न्यायालय में गुप्त मुकदमा उस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकेगी। जिसे इस संविधान की किसी भी धारा में उन्मुक्ति प्राप्त नही है।
- 151 जिला न्यायालय धारा 150 के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी भी मुकदमें की जाँच अपनी उस न्यायिक खुफिया एजेन्सी से करायेगा जो उसे प्रदेश न्यायालय उपलब्ध करावे तथा तदनुसार जिला न्यायालय निर्णय करेगा।
- 152 जिला न्यायालय को कार्यवाही तथा निर्णय तब तक गुप्त रहेगा जब तक उसे कार्यान्वित न कर दिया जाये।
2. ऐसा कार्यान्वयन होते ही अपराधी चाहे तो प्रदेश न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसकी गुप्त जांच सर्वोच्च न्यायालय की खुफिया एजेन्सी स करायी जायेगी।
- 153 1. राष्ट्रपति यदि महसूस करे कि
(क) समाज में आर्थिक असमानता असीमित हो गई है।
(ख) सघ की आर्थिक स्थिति संतोष जनक नही है।
तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति मिलकर सम्पूर्ण देश में आर्थिक आपात काल की घोषणा कर सकते है।
(2) आर्थिक आपातकाल में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में आने वाली सम्पति पर आपात कर लगा सकत ह जो एक वर्ष में अधिकतम 2 प्रतिशत तक हो सकता है।
(3) यदि आर्थिक आपातकाल उपधारा एक की (क) के आधार पर लगाया गया है तो उपधारा दो से प्राप्त सम्पूर्ण धन प्रत्येक परिवार को उसकी रजिस्टर्ड सदस्य संख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जायेगा।

भाग 11 – मिश्रित

- 154 इस संविधान क लागू होते ही पिछले कानून नियम या उपनियम इस प्रकार शून्य होंगे कि इस संविधान की धाराओं के आधार पर नये कानून नियम या उपनियम बनाकर उन्हें शून्य घोषित किया जाये।
- 155 कोई भी बैठक की कार्यवाही उसकी कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के न्यूनतम में।
1. संसद के किसी सदन की या संयुक्त की या संयुक्त बैठक में चालीस प्रतिशत।
2. परिवार या किसी सभा की बैठक में पचास प्रतिशत।
3. किसी पंचायत की बैठक में साठ प्रतिशत से कम होने पर गणपूर्ति होने तक रूक जायेगी या स्थगित हो जायेगी।
- 156 संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को छोडकर किसी भी संस्था का निर्णय उपस्थित वैध मतों के बहुमत से किया जायेगा।
- 157 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ससद के किसी सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के भत्ते, वेतन सुविधाएँ तथा उन्मुक्ताएँ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो संसद निश्चित कर।
- 158 किसी अन्य देश से विवाद की स्थिति में भारत सरकार तथा संसद पंच फैसले या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को स्वीकार करेगी। परन्तु यदि ऐसा पंच फैसला या संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय बहुत अधिक हानिकर हो तो संघ सभा, संसद या संविधान सभा पृथक इकाई के रूप में सर्व सम्मति से अस्वीकार भी कर सकते है।
- 159 भारतीय संविधान के अन्तर्गत किसी भी मामले में धर्म, भाषा, लिंग तथा जाति का कोई भेद भाव नही किया जायेगा।
- 160 (1) भारत में एक संविधान सभा होगी जिसके अधिकतम एक सौ दस सदस्य हागे।
(2) संविधान सभा में प्रत्येक प्रदेश से एक व्यक्ति चुना जायेगा। जिसमें (क) डिग्री कालेज या उसके उपर के कालेज के प्राचार्य ही निर्वाचित हो सकेगे। (ख) डिग्री कालेज या उसके उपर की कालेज के शिक्षक ही मतदान कर सकेगे।

- (3) संविधान सभा में अधिकतम दस ऐसे सदस्यों का चयन प्राचार्यों की सभा करेगी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे हो तथा संसद द्वारा घोषित प्रारूप के आधार पर घोषणा करे कि वे जीवन पर्यन्त सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे।
- (4) संविधान सभा का कार्यकाल दस वर्ष का होगा।
- (5) बी.ए. या उसके उपर के कालेजा के शिक्षक या प्रचाया पर सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबध रहेगा।
- 161 देश का सारा आर्थिक हिसाब या वेतन तथा मूल्य संसद द्वारा घोषित वर्ष के मूल रूपया में लिखे जायेगे या मूल रूपये को चालू रूपया में बदल कर ही लिखे जायेंगे इस संविधान में वर्तमान में अकित मूल रूपया की मान्यता सन 81 के आधार पर है।
- 162 1. भारत की प्रगति का आकलन न्यूनतम श्रम मूल्य में वृद्धि के आधार पर किया जायेगा।
2. यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो कि भारत के न्यूनतम श्रम मूल्य में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास आवश्यक है तो वह कृत्रिम उर्जा पर उस सीमा तक मूल्य वृद्धि कर सकेगे जो श्रम मूल्य वृद्धि के लिये आवश्यक प्रतीत हो।
- 163 संविधान में किसी अन्य धारा के होते हुए भी संसद धारा 130 तथा 153/3 के आधार पर प्रति व्यक्ति अर्थ वितरण की उन माता पिता को न देने का प्रावधान बना सकेगी जिसके ससद द्वारा घोषित सीमा से अधिक संतान हों।
- 164 संविधान में किसी अन्य धारा के होते हुए भी तथा भाग तीन के होते हुए भी किसी व्यक्ति के लिए ऐसे घातक हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जैसा संसद विधि द्वारा घोषित कर। परन्तु राज्य के विशिष्ट पदाधिकारी तथा सुरक्षा के निमित्त नियुक्त उन व्यक्तियों पर यह बंधन नहीं होगा जिन्हें संसद विधि द्वारा उन्मुक्ति दे।

भाग 12 – संविधान संशोधन

- 165 1. भारत के संविधान में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में ऐसा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा।
2. संविधान संशोधन दोनों सदनों में कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के न्यूनतम दा तिहाई बहुमत से स्वीकृत होगा।
3. दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष भेजा जायेगा जो उसे स्वीकार अस्वीकार या संशोधित कर सकती है।
4. ससद के दोनों सदन संविधान सभा के संशोधन या सुझाव पर बहुमत से निर्णय करेंगे।
5. यदि संसद के दोनों सदन तथा संविधान सभा किसी संशोधन के प्रारूप पर पूर्णतया सहमत हो जाते हैं। तो उस संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तथा संविधान संशोधित हो जायेगा।
6. परन्तु ऐसा कोई संशोधन भाग तीन में करना हो तो वह प्रस्ताव जनमत के लिये प्रसारित करना होगा जिस पर निर्वाचन आयुक्त की देख रेख में विशेष सहमति प्राप्त की जायेगी। उसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे।

